अध्याय XXIV

आचार समिति

286. **आचार समिति**

एक आचार समिति गठित की जाएगी।

287. **गठन**

(1)अध्यक्ष समय-समय पर आचार समिति नामनिर्देशित करेगें जिसमें 10 सदस्य होंगे।

(2) उप-समिति (1) के अधीन नाम-निर्देशित की गई समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि एक नई समिति नाम-निर्देशित न की जाए।

(3) समिति में हुई आकस्मिक रिक्तियां अध्यक्ष द्वारा भरी जाएंगी।

288. **समिति का अध्यक्ष**

(1) समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से माननीय सभापति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो माननीय सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।

(3) यदि समिति का अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनेगी।

289. **गणपूर्ति**

समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पाँच से हो सकेगी।

290. **कृत्य**

समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, नामत:-

(क) सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचारण पर ध्यान रखना;

(ख) सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना और राज्य सभा को प्रतिवेदन के रूप में आचार संहिता में समय-समय पर संशोधन या परिवर्धन करने के लिए सुळाव देना;

(ग) सदस्यों के कथित आचरण और अन्य दुराचरण से संबंधित मामलों अथवा सदस्यों द्वारा आचार-संहिता का उल्लंघन किए जाने की जांच करना;

(घ)स्वप्रेरण से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मानदण्डों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना।

291. **साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख या दस्तावेज़ मांगने की शक्ति**

(1)यदि समिति अपने कर्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत कराना आवश्यक समळो तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति होगी;

परन्तु यह कि यदि यह प्रश्न पैदा हो जाए कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य या प्रलेख की प्रस्तुति समिति के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, तो यह मुद्दा सभापति के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा;

(2)इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन समिति द्वारा किसी साक्षी को बुलाया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिए अपेक्षित हो।

(3)यह समिति के स्व विवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिए गए किसी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।

292. **सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सूचना**

प्रत्येक सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार शपथ लेने अथवा प्रतिळान करने के 90 दिन के भीतर अपने तथा अपने नजदीकी परिवारजन

अर्थात पति/पत्नी, आश्रित पुत्रियों तथा आश्रित पुत्र की "परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों" के संबंध में समिति को या समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करानी होगी जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 75क के अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित है।

293. **सदस्यों के हितों की पंजिका**

(1)समिति द्वारा अवधारित किए गए रूप में "सदस्यों के हितों की एक पंजिका" रखी जाएगी जिसे सदस्य अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्राप्त कर सकेंगे।

(2)पंजिका का रख-रखाव राज्य सभा के प्राधिकार के अंतर्गत किया जायेगा।

(3)समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पंजिका में निहित सूचना आम जनता को दी जा सकती है।

294. **हितों की घोषणा**

(1)जब भी किसी सदस्य का सभा या उसकी किसी समिति द्वारा विचार किये जा रहे किसी मामले में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या विशिष्ट धन संबंधी हित हो, तो वह पंजिका में अपने हितों को दर्ज करने के बावजूद ऐसे हित की प्रकृति की घोषणा करेगा और ऐसी घोषणा करने से पूर्व सभा या उसकी समितियों में होने वाले ऐसे किसी वाद-विवाद या मतदान में भाग नहीं लेगा।

(2)सभा में मत विभाजन होने पर यदि किसी सदस्य के मत को व्यक्तिगत, धन संबंधी या निर्णीत किये जाने वाले विषय के संबंध में प्रत्यक्ष हित के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो अध्यक्ष, यदि आवश्यक समळो, चुनौती देने वाले सदस्य से उनकी आपत्ति का सटीक आधार बताने के लिए कह सकते हैं और जिस सदस्य के मत को चुनौती दी गई हो अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं और तब अध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि क्या सदस्य के मत को अनुमति दी जाये या

नहीं और उनका निर्णय अंतिम होगा।

बशर्ते कि किसी सदस्य के मत को मत विभाजन होने के तत्काल बाद तथा अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा किये जाने से पूर्व चुनौती दी जाती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्यों के लिए सदस्य का हित प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत या धन संबंधी होना चाहिए तथा पृथक रूप से उस व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए जिसके मत पर प्रश्न उठाया गया हो तथा आम जनता के साथ या तत्संबंधी किसी वर्ग के साथ या किसी विषय पर या सरकार की नीति के साथ सांळा नहीं होना चाहिए।

295. **शिकायत करने की प्रक्रिया**

(1)कोई भी व्यक्ति समिति से आरोपित "आचार संबंधी अनेतिक व्यवहार" या किसी सदस्य द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन या किसी सदस्य के हितों की आरोपित गलत सूचना की शिकायत कर सकता है।

(2)समिति मामलों को स्वप्रेरणा से भी उठा सकती है।

(3)सदस्य भी मामलों को समिति के पास भेज सकते हैं।

(4)कोई भी शिकायत समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित रूप में ऐसे रूप एवं स्वरूप में की जायेगी जैसा कि समिति विनिर्दिष्ट करे।

(5)शिकायत संयमित भाषा में व्यक्त होगी तथा तथ्यों तक सीमित होगी।

(6)शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी तथा अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सहायक दस्तावेजी या अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

(7)समिति शिकायतकर्ता का नाम प्रकट नहीं करेगी, यदि शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है तथा उसे अनुरोध को समुचित कारणों से

समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

(8)केवल मीडिया की अप्रमाणिक रिपोर्ट पर आधारित शिकायत को प्रमाणिक आरोप नहीं माना जाएगा।

(9)समिति ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जो न्याय-निर्णयाधीन हो तथा इस नियम के उद्देश्य के लिए कि क्या ऐसा मामला न्याय-निर्णयाधीन है या नहीं, समिति के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

296. **जांच की प्रक्रिया**

(1)यदि समिति इस बात से संतुष्ट है कि शिकायत उचित रूप में है तथा मामला उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो वह मामले को प्रारंभिक जांच के लिए ले सकती है।

(2)प्रारंभिक जांच के बाद, यदि समिति द्वारा पाया जाए कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो मामले को छोड़ा जा सकता है।

(3)यदि यह पाया जाता है कि कोई शिकायत असत्य या खिजाऊ है अथवा दुर्भावना से की गई है तो मामले पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे के रूप में विचार किया जा सकता है।

(4)यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो मामले पर समिति द्वारा जांच तथा प्रतिवेदन देने के लिए विचार किया जाएगा।

(5)समिति अपने अधिदेश को कार्य-रूप देने तथा समिति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए समय-समय पर नियम बना सकती है।

(6) समिति सामान्यता अपनी बैठकें बंद कमरे में आयोजित करेगी।

297. **दण्ड**

जब भी यह पाया जाए कि किसी सदस्य ने कोई अनैतिक आचरण या अन्य कदाचारपूर्ण कार्य किया है या संहिता/नियमों का उल्लंघन किया है, तो समिति निम्नलिखित दण्डों में से एक या उससे अधिक दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है:-

(क) निन्दा;

(ख) भर्त्सना;

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन; तथा

(घ) समिति द्वारा उचित समळाा गया कोई अन्य दण्ड।

298. **प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना**

आचार समिति का प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

299. **प्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव**

प्रतिवेदन के सभा में उपस्थित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के अध्यक्ष या समिति के किसी सदस्य के नाम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

300. **विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन**

कोई भी सदस्य प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना, ऐसे रूप में जैसा कि सभापति द्वारा उचित समळाा जाए, दे सकता है।

301. **प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बाद प्रस्ताव**

प्रतिवेदन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है या असहमत है या संशोधनों के साथ सहमत है।

302. **प्रक्रिया का विनियमन**

सभापति, समिति या सभा के सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के मामलों की जांच से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समळो।

303. **नैतिक तथा अन्य कदाचार के प्रश्न को समिति को भेजने के संबंध में सभापति का अधिकार**

इन नियमों में किसी बात के होते हुए, सभापति किसी सदस्य के नैतिक तथा अन्य कदाचार से संबंधित प्रश्न को जांच, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए आचार समिति को भेज सकता है।